Order Sheet [Contd] Case No 19/2016 बी.ए

	Case No 19 / 2010 91.9	
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
29.12.2016	आवेदक / आरोपी भूपेन्द्र की ओर से श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री दीवानिसंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। अपित्तिकर्ता जितेन्द्रिसंह की ओर से श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता द्वारा लिखित आपित पेश की एवं दस्तावेज पेश किए। अवेदक / आरोपी अधिवक्ता द्वारा आपित का जबाव पेश किया। आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड की ओर से अप०क० 256 / 16 धारा 307, 294, 506, 34 भा.द.वि की केश डायरी मय कैफियत के पेश। अवेदक / आरोपी की ओर से अधि. श्री हृदेश शुक्ला द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फो० का पेश कर निवेदन किया कि पुलिस थाना गोहद के द्वारा विरोधियों की झूठी रिपोर्ट के आधार पर आवेदक के विरुद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, जबिक उक्त अपराध से उसका कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक नव युवक होकर गरम सड़क मुरार ग्वालियर में निवास करता है और अपने परिवार में एक कमाने वाला सदस्य है, यदि उसे अधिक समय तक निरोध में एखा गया तो उसके परिवार के सामने भरण पोषण की समस्या उत्पन्त हो जावेगी। आवेदक स्थानीय निवासी है उसके भागने एवं साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। वह जमानत की समस्त शर्तों का पोलन करेगा। अतः उसे उचित जमानत मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। आपित्तकर्ता अधिवक्ता द्वारा लिखत आपित्त पेश कर निवेदन किया की दिनांक 16.09.2016 को आपित्तकर्ता के चौधरी पुरा स्थित खेत को आवेदक / आरोपी सहित अन्य लोगों जबरन जोत रहे थे जिसे कि आपित्तकर्ता एवं उसके भाईयों के द्वारा रोका गया तो आवेदक / आरोपी व उसके साथ आए अन्य लोगों ने गोलियों चलाई जो आपित्तकर्ता के साथ कभी मी घटना कर सकते है। यदि आरोपी को जमानत पर छोडा गया तो निश्चत ही साक्ष्य को प्रभावित करेगें। अतः आपित्त स्वीकार कर जमानत आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया है। फरियादी जितेन्द्रिसंह की	A THE STATE OF THE
	The second secon	

रिपोर्ट के आधार पर कि दिनांक 16.09.2016 को शाम के 5 बजे उसके परिवार के अतेन्द्रसिंह बगैरह उसके खेत को जबरन जोत रहे थे तो उनको रोकने के लिए उसका भाई नाथूसिंह, ताऊ का लड़का बकील सिंह गए तो वहाँ पर वर्तमान आवेदक भूपेन्द्रसिंह सिंहत अन्य सहआरोपी अतेन्द्रसिंह, ललासिंह गुर्जर, राजेन्द्रसिंह अश्लील गाली गलोज करने लगे और भूपेन्द्र ने कहा कि आज घेर लो सालों को, तभी सहआरोपी अतेन्द्रसिंह ने अपनी लाइसेंसी रायफल से जान से मारने की नियत से गोली चलाइ जो कि नाथूसिंह के सिर में लगी वह गिर पड़ा, अन्य सहआरोपी राजेन्द्रसिंह ने भी अपनी रायफल से गोली चलाई। सभी आरोपीगण गाली गलोज करते हुए बोले कि आइंदा खेत की तरफ दिखे तो जान से खत्म कर देगें। उक्त रिपोर्ट के आधार पर धारा 307, 294, 506बी, 34 भा.द.वि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया।

आवेदक / आरोपी अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से व्यक्त किया कि वर्तमान आवेदक भूपेन्द्रसिंह के द्वारा कोई कृत्य नहीं किया गया है, उसे झूठा फंसाया गया है।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि घटना के तुरन्त पश्चात् दर्ज कराई गई है, उसमें स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख आया है कि वर्तमान आवेदक भूपेन्द्रसिंह के द्वारा जो कि अन्य सहआरोपीगण के साथ खेत जोतने के लिए गया था के द्वारा यह कहा गया। कि आज घेर लो सालों को और इसके उपरांत ही सहआरोपी अतेन्द्रसिंह के द्वारा गोली चलाई गई है जो कि आहत नाथूसिंह को लगी है। नाथूसिंह की चिकित्सीय परीक्षण में भी उसे गनशॉट इंजुरी की चोट होने का उल्लेख आया है। प्रकरण अभी विवेचना के अधीन है और सहआरोपीगण की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है।

विचारोपरांत वर्तमान आवेदक मूपेन्द्रसिंह पर लगाए गए आक्षेप एवं घटना के तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति को देखते हुए और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि प्रकरण में विवेचना अभी चालू है, वर्तमान आवेदक को जमानत पर छोड़ा जाना उचित नहीं है। अतः आवेदक/आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फी0 स्वीकार किये जाने योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को बापस किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(डी०सी०थपलियाल) ए.एस.जे. गोहद WITHOUT PROTOTO STATE OF STATE

WITHOUT PATERS AUTH THE REAL PROPERTY OF THE PATER OF THE